पत्रांक– 2489 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

FAX

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 17/7/14

विषय : आसन्न सुखाड़ के मद्देनजर राज्य शताब्दी अन्न कलश योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2011–12 से ही राज्य में रहनेवाले निर्धन, बूढ़े, विधवा, शिथिलांग निराश्रित एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के बीच भूखमरी की घटनाओं की रोकथाम करने तथा समाज के कमजोर वर्गों की भुखमरी की स्थिति में खाद्यान्न की आसान पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शताब्दी अन्न कलश योजना के नाम से योजना संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत उपरोक्त चिन्हित कमजोर वर्गों के किसी व्यक्ति अथवा परिवार के समक्ष खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होने पर मुखिया या सरपंच या पंच या संबंधित वार्ड सदस्य (ग्रामीण क्षेत्रों में) तथा वार्ड पार्षद (नगरीय क्षेत्रों में) तत्काल पूर्व से चिन्हित जन वितरण प्रणाली बिक्रेता को रिवॉल्विंग स्टॉक से मुफ्त खाद्यान्न आपूर्त्ति करने हेतु निदेशित कर सकते हैं। इस योजना अन्तर्गत प्रति व्यस्क 10.00 (दस) कि0ग्रा0 खाद्यान्न एवं प्रति अव्यस्क 7.00 (सात) कि0ग्रा0 एक सप्ताह के लिए तत्काल उपलब्ध कराया जाता है। इसके उपरांत प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों से इसकी विधिवत् जाँच कराकर आवश्यकतानुसार खाद्यान्न चार सप्ताहों के लिए आपूर्त्ति की जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य शताब्दी अन्न कलश निधि नाम से मुख्यालय स्तर पर कोष गठित कर 10.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार सभी जिलों में जिला शताब्दी अन्न कलश निधि नाम से सभी जिलों में कोष गठित है। इस कोष में पर्याप्त राशि अन्तरित कर संधारित की गई है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त आंकड़ों तथा बिचड़ों/खरीफ फसलों (धान, मक्का आदि) के आच्छादन की स्थिति के अनुश्रवण से सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। आसन्न सुखाड़ आपदा की स्थिति में यह आवश्यक है कि शताब्दी अन्न कलश योजना के कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया जाए। निदेश दिया जाता है कि ग्राम पंचायतों के मुखिया/ सरपंच/ पंच/ वार्ड सदस्य को तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड पार्षदों को इस योजना के अन्तर्गत उनके सुपरिभाषित दायित्वों के संबंध में पुनः जागरूक किया जाए। चयनित जन वितरण प्रणाली के रिवॉल्विंग स्टॉक में 1–1 क्विंटल खाद्यान्न के संधारण की समीक्षा कर भंडारण सुनिश्चित कराया जाए। चयनित जन वितरण प्रणाली के बिक्रेताओं की सूची (पता सहित) को सार्वजनिक स्थानों पर तथा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाए। मीडिया तथा नागरिक समूहों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की विशेष बैठकें आयोजित कर योजना के क्रियान्वयन संबंधी सूचनाओं को प्रचारित किया जाए। गाँवों में ग्राम सभा का तथा नगरीय क्षेत्रों में आम सभा का आयोजन कर आमलोगों के बीच योजना के प्रचार–प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय।

शताब्दी अन्न कलश योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेवसाईट http://www.disastermgmt.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

विश्वासभाजन,

17/7

(व्यास जी)
प्रधान सचिव।